उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

केसर देवी आदि बनाम पुरेन्द्र सिंह आदि

...ा नं. प्रकरण संख्या [illegible] क्र. 40/2020

30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली के सम्बन्धित मूल वाद में प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 CPC स्वीकार होने पर इस्तगासा पत्रावली के सम्बन्धित पूर्ववर्ती प्रकरण 34/2020 इस्तगासा जवाब के पक्षकार पुरेन्द्र सिंह आदि के साथ [illegible] किये जाने के आदेश किये जाते हैं। 44
17/9/25	पत्रावली इस्तगासा आदेश के मूल आदेश के 40/2020 तथा इस्तगासा पत्रावली (पालना) में बहस सुनी गई। [illegible] किये जाते हैं कि प्रार्थीगण का आदेश व मूल दीवानी 40/2020 तथा 34/2020 के [illegible] के आदेश [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/मु.सं. 34/2020

सुरेन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी/वादी

बनाम

01. खेताराम पुत्र हीरालाल
02. प्रहलादराम पुत्र हीरालाल
03. हनुमान सिंह पुत्र हीरालाल
04. मुकेश कुमार पुत्र प्रहलाद

समस्त जाति खाती निवासी टाटनवा तहसील धोद जिला

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. श्री विजय सिंह तंवर, वकील प्रार्थी/वादी की ओर से
02. श्री झाबरमल रायल, वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 19.09.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "वादी/प्रार्थी ने प्रस्तुत दावा व आवेदन वहुत ही ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिये है, जिसमें वादी/प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। कृषि भूमि खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जिसका प्रार्थी/वादी एकल खातेदार काश्तकार काबिज काश्त व्यक्ति है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 466 से कोई सम्बन्ध सरोकार किसी भी रूप में नहीं है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि उसके पूर्व के खातेदार मातू सिंह पुत्र भंवर सिंह व उच्छव कवंर पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाटनवा से पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 27.07.2020 से खरीद की हुयी है, जिसका नामान्तरकरण सं. 1212 दिनांक 21.08.2020 से प्रार्थी के नाम से स्वीकृत होकर प्रार्थी काबिज काश्त खातेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 466 के दक्षिण साईड के सींवा–जोड़ पड़ौसी है, जो सीमा विवाद को लेकर प्रार्थी से रंजिश रखते है। इस कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने पर अमादा है। दिनांक 04.10.2020 को सुबह करीब 10 बजे प्रार्थी अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. पर खेती की उपज रखने हेतु एक छोटा सा टिनशेड बनाने के लिये पत्थर ईट व बजरी डलवाई तो अप्रार्थीगण एक राय होकर हाथों में लाठीया लिये प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 466 की दक्षिणी सीमा को तोड़–फोड़ करने लगे व भूमि को खुर्द–बुर्द करने लगें। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

ने उन्हें मना किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी की वे प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि की शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देंगे क्योंकि उक्त कृषि भूमि को खरीदने का ईरादा अप्रार्थीगण का था, लेकिन अप्रार्थीगण की ईच्छा के खिलाफ उक्त कृषि भूमि प्रार्थी ने खरीदी है। इस कारण वे उन्हें शान्ति से काश्त नहीं करने देंगे तथा भूमि को खुर्द–बुर्द कर देंगे अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना न्यायोचित है। वाद कारण दिनांक 04.10.2020 को पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की कोशिश की, जिस पर यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ। वादी/प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, जो कि सुपुष्ट है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी/प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके शान्तिपूर्वक कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करते है अथवा मजाहमत पैदा करते है तथा प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देते है अथवा भूमियों को खुर्द–बुर्द करते है, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी तलाफी बाद में धन से नहीं हो सकेगी। इस कारण अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना न्यायोचित है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे दावे व आवेदन में प्रशनगत कृषि भूमि खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने भूमियो को खुर्द–बुर्द करने व नीव–सींव को तोड़–फोड़ करने से बाज रहे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से श्री झाबरमल रायल, एड. ने वकालतनामा पेश किया जाकर मदवार जवाब टी.आई. आवेदन मय विशेष कथन सहित पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''मद सं. 1 में वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा दाव प्रस्तुत करने का कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन गलत है। प्रार्थी को दावे में सफलता की किंचित मात्र ही संभावना नहीं है। मद सं. 2 सही होने से स्वीकार है। मद सं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से कब्जा काश्त जवाबदातागण का व उनके सहहिस्सेदारों का ही चला आ रहा है। वस्तुस्थिति विशेष कथन में अंकित है। मद सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से कब्जा काश्त जवाबदातागण का चला आ रहा है। मद सं. 5 में उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी द्वारा मातुसिंह व अन्य के द्वारा से क्रय करने का व नामान्तरकरण तस्दीक होने का कथन सही होने से स्वीकार है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि का सौदा प्रार्थी ने मातुसिंह से किया है। उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त हमेशा से ही जवाबदातागण व उनके सहहिस्सेदारों का रहा है, जिसके संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती का दावा न्यायालय हाजा में लंबित है। मद सं. 6 जिस प्रकार से तहरीर की गई, गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदातागण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का कथन ही काल्पनिक है क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हमेशा से ही जवाबदातागण व उनके सहहिस्सेदारों का चला आ रहा है। मद सं. 7 पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। मद सं. 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादी का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए प्रार्थी को अपूरणीय क्षति का कथन भी काल्पनिक है। न ही प्रार्थी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

कोई सुविधा का संतुलन है। मद सं. 9 कानूनी होने से जवाब आवश्यक नहीं है। विशेष कथन के अनुसार– ग्राम टाटनवां परवार हल्का भुंवाला तहसील धोद जिला सीकर में भूमि खसरा सं. 466, 465 अवस्थित है, जिसके पुराने खसरा सं. 332 में बट्टा सं. 332/1 व 332/2 थे। उक्त वर्णित भूमि खसरा सं. 466, जिसके पुराने खसरा सं. 332/2 रहे है, पर पूर्व में जवाबदातागण के पूर्वज किशनाराम का कब्जा काश्त रहा है तथा बाद में किशनाराम के वारिसों का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भूमि खसरा सं. 465, जिसके पुराने खसरा सं. 332/2, का राजस्व रिकार्ड जवाबदातागण के नाम से दर्ज हो गया जबकि उक्त भूमि पर कब्जा कावत मातुसिंह व उनके पूर्वजों का रहा है। प्रार्थी ने मातुसिंह के कब्जे काश्त की भूमि खसरा सं. 465 ही क्रय की है। उक्त रिकॉर्ड की त्रुटि को सही करवाने के लिए जवाबदातागण व सहहिस्सेदारों द्वारा न्यायालय हाजा में दावा पेश कर रखा है। प्रार्थी राजनैतिक पहुंचवाला दबंग व्यक्ति है, जो भूमाफियाओं को साथ लेकर जवाबदातागण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा भुमाफियाओं को साथ लेकर दिनांक 17.10.2020 की रात्रि को भूमि खसरा सं. 466 में जबरन प्रवेश करने व जवाबदातागण का घरेलू सामान, कृषि उपकरण व निर्माण सामग्री उठा कर लेकर जाने पर उसके खिलाफ पुलिस थाना धोद में FIR सं. 165/2022 दर्ज करवाई गई। इसके बाद वादी जवाबदातागण के बीच बैठकर राजीनामा हो गया तथा सहमति से राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की बात हुई, उस समय अशोक जी ढाका नेतड़वास, सुरजारम जी टाटनवां, महेन्द्र सिंह कॉमरेड, रैवत सिंह जी टाटनवां, महेन्द्र सिंह व अन्य लोग उपस्थित थे। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।''

<u>नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/मु.सं. 40/2020</u>

1. केशरदेवी पुत्री श्री हीरालाल उम्र 62 वर्ष
2. खेताराम पुत्र श्री हीरालाल उम्र 65 वर्ष
3. गुली पुत्री श्री हीरालाल उम्र 45 वर्ष
4. चौथमल पुत्र श्री माधू उम्र 45 वर्ष
5. नन्द लाल पुत्र माधू उम्र 65 वर्ष
6. प्रहलाद पुत्र श्री हीरालाल उम्र 60 वर्ष
7. मोहन पुत्र श्री किशना उम्र 70 वर्ष
8. राधेश्याम पुत्र श्री माधू उम्र 60 वर्ष
9. हनुमान पुत्र श्री हीरालाल उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति खाती जांगिड़ निवासीगण ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर
3. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>आवेदन अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति—
03. श्री झाबरमल रायल, वकील प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से
04. श्री विजय सिंह तंवर, वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

—:आदेश:—

दिनांक— 19.09.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत ही ठोस आधारों पर एक दावा पेश कर दिया है, जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण को अपनी सफलता की पूरी—पूरी संभावना है। प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर के स्थायी निवासी है तथा कृषि कार्य व मजदूरी कार्य कर अपना जीवन यापन करते है। प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का सजरा खान निम्न प्रकार है—

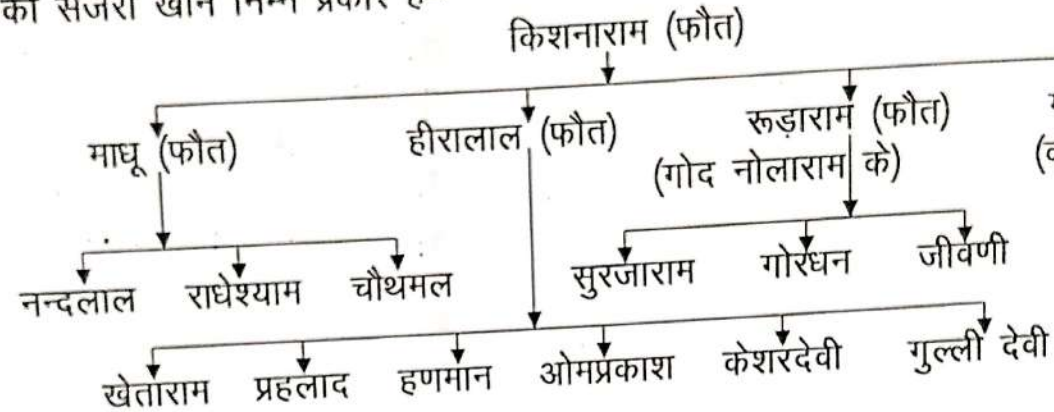

वाके ग्राम टाटनवां पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 465 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 526 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 98 रकबा 5.4600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.6000 हेक्टेयर अवस्थित है। भूमि खसरा सं. 465 व 466 के पुराने खसरा सं. 332 थे, जिसके बाद में बट्टा सं. 332/1 व 332/2 बने तथा वर्तमान खसरा सं. 465 व 466 है। भूमि खसरा सं. 466 जिसके पुराने खसरा सं. 332/1 रहे है, पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज किशनाराम का कब्जा काश्त रहा है तथा बाद में किशनाराम के वारिसों माधू, हीरालाल, मोहन लाल का कब्जा काश्त रहा है, जिसका एक पुत्र रूड़ाराम अपने ताऊ नोलाराम के गोद चला गया। वर्तमान में माधू, हीरा लाल के वारिसों मोहन लाल व प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है। यह प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 2 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा पूर्व में इनके पूर्वजों का कब्जा काश्त निरन्तर व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। भूमि खसरा सं. 466 का राजस्व रिकार्ड मातू सिंह पुत्र भंवर सिंह व उच्छव कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह के नाम रहा है तथा इसके पूर्व इनके पूर्वजों का रहा है। इसी तरह भूमि खसरा सं. 465 जिनके पुराने खसरा सं. 332/2 है, का राजस्व रिकार्ड पूर्व में प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 2 के पूर्वज किसना के नाम से रहा है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से है जबकि उक्त भूमि का कब्जा काश्त ... रूप से मातू सिंह व उसके पूर्वजों का ही निरन्तर व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अदला बदला होने का पता चलने पर प्रार्थीगण ने मातू सिंह व उच्छव कंवर से बात की तो कहा कि भूमियों पर ऋण है इस ऋण के ... रिकार्ड में शुद्धि, किसान कार्ड चुकाने की स्थिति में ही होगी, ऋण चुकता कर ... में राजस्व रिकार्ड को कब्जे के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अदला–बदली कर लेंगे। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा सं. 466 के पश्चिम दिशा का पड़ौसी है तथा ट्रासपोर्ट का काम करता है। अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जिसने दिनांक 11.10.2020 को खेत में आकर धमकी दी है कि यह भूमि खसरा सं. 466 मैंने मातूसिंह व उच्छव कंवर से मेरे नाम करवा ली है तथा अब इस भूमि को खाली कर देना तथा अपना कब्जा हटा लेना नहीं तो जबरन लठ के बल पर आपको/प्रार्थीगण को बेदखल कर दूँगा तो प्रार्थीगण ने पुलिस थाना धोद में फोन किया जिस पर पुलिस आई और वह चला गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बार–बार प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने से, प्रतिवादी सं. 6 को इसकी शिकायत दिनांक 12.10.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना धोद व तहसीलदार महोदय, धोद को शिकायत की है। दिनांक 17.10.2020 को प्रार्थीगण 2, 6 व 9 अपनी भूमि खसरा सं. 466 में आवारा पशुओं की रखवाली हेतु सो रहे थे तो रात 0.30 बजे के लगभग अप्रार्थी सं. 1, उसका भाई गिरवर सिंह, गांव का महेन्द्र सिंह 40–50 अज्ञात लोगों को लेकर आया तथा प्रार्थीगण के खेत से 2500 ईटें, मूंग की फसल, चारपाई, बिस्तर आदि ट्रोली में डाकर ले गये तथा जबरन प्रार्थीगण के खेत में हेरा चला दिया। प्रार्थीगण ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया लेकिन फोन रिसिव नहीं किया। सुबह पुनः अप्रार्थी सं. 1, 15–20 लोगों को तथा जेसीबी मशीन लेकर आया तथा प्रार्थीगण के खेत की सींव फोड़ने लगा तो पुलिस थाने में फोन करने पर पुलिस आयी, जिस पर सींव फोड़ना छोड़ा। जिसकी लिखित शिकायत पुलिस थाना धोद में की जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण को उनकी भूमि से जबरन लठ के बल पर जबरन बेदखल करना चाहता है, जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना व भूमि खसरा सं. 466 से अप्रार्थी सं. 1 का नाम हजब किया जाना प्रार्थनीय है। भूमि खसरा सं. 465 में से प्रार्थी व प्रतिवादी सं. 2 का नाम हजब किया जाना प्रार्थनीय है तथा भूमि खसरा सं. 466 का प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। भूमि खसरा सं. 465 का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 को घोषित. फरमाये जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बहुत ही पुष्ट एवं प्रमाणित है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को कारित हो रही है, इस कारण भी प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादीगण/प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 466 वाके ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, नींव–सींव नहीं फोड़े, बेचान या अन्यथा अन्तरण न करें, अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अन्तरण करने से बाज रहें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री विजय सिंह तंवर, एड. ने वकालतनामा पेश किया जाकर मदवार जवाब टी.आई. आवेदन पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''मद सं. 1 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। वादी/प्रार्थी को इस आधारहीन दावे व आवेदन में सफलता की लेश [illegible] सम्भावना नहीं है। मद सं. 2 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने [illegible]/अप्रार्थी सं. 1 अवश्य ही कृषि कार्य व मजदूरी कार्य करता है लेकिन प्रार्थीगण [illegible] दावे के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 भू–माफिया गिरोह के सदस्य है जो गांव में कमजोर व्यक्तियों की भूमियां उन्हें डरा धमका कर अथवा अन्य किसी भी तरीके से हड़पने की [illegible]ायज कुचेष्टा में रहते है। इसी कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण व दावे के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 ने आपसी मिलीभगत करके दुरभि संधि करते हुए इस आवेदन में पक्षकार बनते हुए आवेदन पेश किया है। मद सं. 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद सं. 4 जिस प्रकार से लिखी है, जिसमें कृषि भूमि खसरा सं. 466 बाबत जवाबदाता को जानकारी है। शेष खसरा सं. 465, 526, 98 से कोई जवाबदाता का सम्बन्ध सरोकार नहीं है। मद सं. 5 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। कभी भी खसरा सं. 465 व 466 के पुराने खसरा सं. 332 नहीं थे। उक्त दोनों खसरा सं. प्रारम्भ से अलग–अलग टुकड़ों में थे। इसी कारण से मूल खसरा सं. 332 जो बना ही नहीं था। प्रारम्भ से ही खसरा सं. 332/1 रकबा 8 बीघा, जिसके नये खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर बना व खसरा सं. 332/2 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, जिसके नये खसरा सं. 465 रकबा 2.9000 हेक्टेयर बने है। उक्त खसरा नम्बरान के कभी भी खसरा सं. 332 नहीं बने जैसा कि मिलान क्षेत्रफल व पुरानी जमाबन्दी से साबित है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान के अलग–अलग टुकड़े होने के कारण व अलग–अलग व्यक्तियों की खातेदारी में होने के कारण खसरा सं. 332/1 व 332/2 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम पैमाईश में ही बना दिये गये थे। इसी कारण से वाद में अलग–अलग खातेदार व अलग–अलग टुकड़े होने के कारण खसरा सं. 466 वर्तमान खातेदार मातू सिंह, उच्छव कंवर की खातेदारी में होने के कारण मातू सिंह व उच्छव कंवर ने वैद्य प्रतिफल प्राप्त कर जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 27.07.2020 को बेचान कर दिया तथा कब्जा खरीददार जवाबदाता सं. 1 को सम्भला दिया तथा क्रेता अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1212 दिनांक 21.08.2020 को स्वीकृत होकर खातेदारी जवाबदाता के पक्ष में हो चुकी है तब से वह उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त आबाद है। मद सं. 6 जिस प्रकार लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। खसरा सं. 466 जिसके पुराने खसरा सं. 332/1 रहे है, पर कभी भी प्रार्थीगण व दावे के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 व उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा तथा ना ही कभी खातेदार काश्तकार ही रहे। प्रार्थीगण ने जवाबदाता द्वारा एक आवेदन सुरेन्द्र सिंह बनाम खेताराम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् यह आवेदन पश्चात्वर्ती आवेदन गलत आधारों पर जवाबदाता की भूमियों को हड़पने की नियत से व उसे तंग व परेशान करने की नियत से यह आवेदन पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। मद सं. 7 में राजस्व रेकार्ड मातू सिंह व उच्छव कंवर के नाम तथा इनके पहले इनके पूर्वजों के नाम रहना स्वीकार है। शेष कथन जिस प्रकार से अंकित किये है, गलत होने से अस्वीकार है। खसरा सं. 465 जिसके पुराने खसरा सं. 332/2 है, पर कब्जा मातू सिंह व उच्छव कंवर का नहीं रहा है। ना ही राजस्व रेकार्ड उनके कभी नाम रहा है। खसरा सं. 332/2 पहले से ही अलग टुकड़े के रूप में था तथा खसरा सं. 332/1 अलग टुकड़े के रूप में था। खसरा सं. 332/1 पर पूर्व में मातू सिंह व उच्छव कंवर के पूर्वज के नाम रहा है तथा उन्हीं का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। उसके पश्चात् मातू सिह व उच्छव कंवर का उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त रहा है, जिन्होंने वैद्य प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा अप्रार्थी सं. 1 को सम्भला दिया है तथा अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमियों के पश्चिमी ओर सींवा–जोड़ पडौसी था, जिसने बाद खरीद उक्त भूमियों को अपनी भूमि व खरीदशुदा भूमि के मध्य बनी सींव को हटाकर [illegible] काश्त की भूमि में मिलाकर एक खेत के रूप में विकसित कर उसमें टीन से[illegible] सिंचित भूमि के रूप में विकसित कर लिया है। प्रार्थीगण व दावे के प्रतिवादीगण सं. 2 [illegible] 5 ने दुरभि संधि कर यह पश्चात्वर्ती आवेदन पेश किया है, जो खा[illegible] 8 जिस प्रकार लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने आवेदन पेश क[illegible] की नियत से उक्त मद अंकित की है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

कभी भी उक्त भूमियां एक अथवा अदला-बदली होने लायक कभी नहीं रही है क्योंकि उक्त भूमियों के पुराने खसरा सं. भी अलग थे व अलग टुकड़ों के रूप में थी तथा वर्तमान में भी अलग खसरा सं. व अलग खातेदारी के रूप में अन्य भूमियों के साथ दर्ज है। जैसा कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से भी साबित है। मद सं. 9 जिस प्रकार लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने पुलिस थाना धोद में एक कतई झूठी व मनगढन्त आधारों पर एफ. आई.आर. सं. 165/2020 प्रस्तुत की थी, जिस पर मुकामी पुलिस मौके पर आकर नक्शा मौका बनाया तथा मौके पर स्थिति देखी तो पुलिस द्वारा बनाये गये अपना नक्शा मौका दिनांक 24.10.2020 में नक्शा मौके की पुश्त भाग पर हालात मौका के नीचे नोट लगाकर अंकित किया है कि 'विवादित भूमि पर इस वक्त कब्जा काश्त आरोपी पक्ष सुरेन्द्र सिंह का है, जो फुंवारा पाईप लाईन खेत में लगा रखी है व उसके मजदूर ज्ञानाराम बलाई व नागरमल बलाई निवासी टाटनवा जो इस विवादित भूमि में फुंवारा पाईप से पानी दे रहे है।' जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमियां कभी भी प्रार्थीगण व दावे के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 की अथवा उनके पूर्वजो की नहीं रही है तथा उक्त प्रकरण में पुलिस ने एफ.आर. अदम वकू झूठ में दे दी गयी है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने मनगढन्त आधार पर यह आवेदन पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। मद सं. 10 जिस प्रकार लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। मुकामी पुलिस धोद को जो शिकायत दी है उस पर एफ.आई.आर. सं. 165/2020 पुलिस थाना धोद दर्ज हुयी, जिसमें अदम वकू झूठ में एफ.आर. लगा दी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने झूठी शिकायत दी है। मद सं. 11 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने बिना दस्तावेजी सबूत के उक्त कथन अंकित किये गये है। प्रार्थी ने जो शिकायत दर्ज करवायी उस पर पुलिस ने झूठी मानकर एफ.आर. दे दी है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने गलत रूप से बिना किसी आधार के यह आवेदन पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। मद सं. 12 जिस प्रकार लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी वर्तमान खसरा सं. 466 जिसके पुराने खसरा सं. 332/1 है, का कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे। ना ही प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार उच्छव कंवर व मातू सिंह को भी पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन वास्तविकता से परे है। इस कारण एक रेकार्डेड खातेदार, जो अप्रार्थी सं. 1 है, को किसी भी रूप में प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण खसरा सं. 465 का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 1/जवाबदाता को घोषित करवाना चाहते है, जो उनका विवेकाधिकार है। यदि प्रार्थीगण खसरा सं. 465 भी जवाबदाता को बतौर खातेदारी दिलवाना चाहते है, तो वे उसके लिए स्वतंत्र है। खसरा सं. 466 प्रार्थी ने वैद्य प्रतिफल अदा कर खातेदारान से भूमि क्रय कर खातेदारी अपने नाम अन्तरित करवाकर कब्जा प्राप्त कर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त आबाद है। रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा कानूनन नहीं की जा सकती। मद सं. 13 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला ही है। ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में है। ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त ही उसके पक्ष में ही वादीगण अथवा उनके पूर्वज कभी भी वर्तमान खसरा सं. 466 जिसके पुराने खसरा नम्बर 332/1 है, के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे है। इसके विपरीत जवाबदाता के विक्रेता अथवा उनके पूर्वज उक्त भूमियों के सदैव से ही रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है तथा बाद क्रय दिनांक 27.07.2020 से अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमियों का काबिज खातेदार काश्तकार आबाद है। राजस्व रेकार्ड जवाबदाता के पक्ष में है। इस कारण प्रार्थी का यह आवेदन खारिज होने योग्य है। मद सं. 14 कानूनी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

चूंकि उपर्युक्त विवरण के अनुसार समान विवादित आराजियात खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर के संबंध में उभयपक्षकारान की ओर से न्यायालय हाजा में पेश किये गये दो मूल दावों के साथ पेश पूर्ववर्ती टी.आई. आवेदन सं. 34/2020 उनवान सुरेन्द्रसिंह बनाम खेताराम आदि तथा पश्चात्‌वर्ती टी.आई. आवेदन सं. 40/2020 उनवान केशरदेवी आदि बनाम सुरेन्द्रसिंह आदि समेकित होने से उक्त के संबंध में समग्र रूप से बहस सुनी जाकर निस्तारण किया जा रहा है।

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी (सुरेन्द्र सिंह) ने अपने टी.आई. सं. 34/2020 के आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर उनका टी. आई. आवेदन सं. 34/2020 स्वीकार करने का निवेदन किया तथा टी.आई. सं. 40/2020 के जवाब आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीगण (केशर देवी आदि) के टी.आई. आवेदन सं. 40/2020 को खारिज करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण (खेताराम) 1 ने अपने जवाब आवेदन मय विशेष कथन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर टी.आई. सं. 34/2020 को खारिज करने का निवेदन किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत (प्रार्थीगण केशरदेवी आदि) ने अपने टी. आई. सं. 40/2020 के आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर उनका टी. आई. आवेदन सं. 40/2020 स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा दोनों पत्रावलियों का समग्र रूप से आवेदनों, जवाब आवेदनों एवं सभी दस्तावेजात आदि का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– वर्णित दोनों पत्रावलियों में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के अनुसार वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुंवाला तहसील धोद जिला सीकर के वर्तमान खाता सं. 375 की विवादित भूमि खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर किस्म बारान–। में वर्तमान में एकल खातेदारी सुरेन्द्र सिंह (जो कि टी.आई. आवेदन सं. 34/2020 के प्रार्थी तथा टी.आई. आवेदन सं. 40/2020 में अप्रार्थी सं. 1 है) के नाम दर्ज है, जो कि मुताबिक जमाबंदी साबित है। प्रकरण में वर्णित आराजियात खसरा सं. 466 के संबंध में वर्णित दोनों टी.आई. आवेदनों से संबंधित मूल दावों का भी अवलोकन किया गया, जिसमें पूर्ववर्ती वाद सं. 47/2020 उनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम खेताराम आदि, जिसमें वादी सुरेन्द्र सिंह ने वर्णित आराजी में अपने नाम से एकल खातेदारी दर्ज होने से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है तथा पश्चात्‌वर्ती वाद सं. 51/2020 उनवान केशर देवी आदि (हीरालाल, माधू व किशना के वारिसानों) बनाम सुरेंन्द्र सिंह आदि, जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण (केशर देवी आदि) ने वर्णित आराजियात के संबंध में अपने हिस्से में खातेदारी उद्‌घोषित करवाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है, चूंकि मूल वाद विचाराधीन है, जिसमें अंतिम निर्णय तनकीवार साक्ष्य/सबूत लिये जाकर तय किया जाना है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का मौका स्थिति का परिवर्तन होता है तो वाद बहुलता होगी तथा सभी खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। साथ ही प्रक[illegible] उक्त वर्णित उभयपक्षकारान के संबंध में मामले विचाराधीन है, जिसका नि[illegible] मूल दावों में तय होना है। हस्तगत वर्णित दोनों टी.आई. आवेदनों [illegible] पत्रावलियों में आये तथ्यों के अनुरूप तय किया जाना है। अतः प्रथम [illegible] में बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित टी.आई. आवेदन सं. 34/2020 में वर्णित आराजी में प्रार्थी (सुरेन्द्रसिंह) एकल खातेदार है तथा टी.आई. आवेदन सं. 40/2020 में वर्णित आराजी के संबंध में प्रार्थीगण (केशर देवी आदि) के द्वारा संबंधित मूल वाद में अपने हिस्से के संबंध में मुख्यतः उद्घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजी में मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी (सुरेन्द्र सिंह) के टी.आई. आवेदन सं. 34/2020 अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को तथा **प्रार्थीगण (केशरदेवी आदि) के टी.आई. सं. 40/2020 अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** को समग्र रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजी खसरा सं. 466 रकबा 1.9800 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुंवाला तहसील धोद जिला सीकर के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही व राजकीय वसूली आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावलियां फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न संबंधित मूल दावों के साथ रहें। **चूंकि टी.आई. आवेदनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अतः हस्तगत निर्णय की एक प्रति पश्चात्वर्ती टी.आई. आवेदन सं. 40/2020 में चस्पा की जावें।** पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner